

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 570 / 12-1 , गोपेश्वर,

दिनांक 17

अगस्त

2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड-।
कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धुर्मा कुण्डी मोटर मार्ग के किमी0 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.275 है0वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/111/2019/एफ0सी0/884 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 6.551 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुण्डी सिविल खसरा नं0 1595 रकवा 5.035 है0, खसरा 1600 रकवा 0.421 है0, खसरा नं0 1601 रकवा 0.133 है0, खसरा नं0 1612 रकवा 0.678 है0, खसरा नं0 1621 रकवा 0.284 है0 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षकउत्तराखण्ड के पत्र सं0 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दर रू0 337,184.00 के अनुसार 6.551 है0 @ 337184.00= 22,08,892.00(रू0 बाईस लाख आठ हजार आठ सौ बयानब्बे) मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.275 है0 दर 657000.0= रू0 21,51,675.00 (रू0 इक्कीस लाख इक्कावन हजार छः सौ पचत्तर) जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।